

सरकारी गजट, उत्तरांचल उत्तरांचल**सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण****विधायी परिशिष्ट****भाग—1, खण्ड (क)****(उत्तरांचल अधिनियम)****देहरादून, बुधवार, 05 अप्रैल, 2006 ई0 चैत्र, 15,****1928 शक सम्वत्****उत्तरांचल शासन****विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग****संख्या 717 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2006 देहरादून, 05****अप्रैल, 2006****अधिसूचना****विविध**

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित पतंजलि विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 को दिनांक 05 अप्रैल, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 04 वर्ष 2006 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम,

2006

{ [उत्तराखण्ड]₁ अधिनियम संख्या 4, वर्ष 2006 }

राज्य में भारतीय प्राचीन संस्कृति एवं वैदिक विज्ञान आधारित योग, आयुर्वेद एवं अन्य कृषि जड़ी-बूटीकरण के क्षेत्र में गहन शिक्षण-प्रशिक्षण एवं शोधकार्य आदि की सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में न्यास/ट्रस्ट अधिनियम के अधीन पंजीकृत पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) द्वारा प्रयोजित “पतंजलि विश्वविद्यालय” नामक विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसे निगमित करने एवं उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने हेतु यह

अधिनियमभारत के गणराज्य के सत्तानवें वर्ष में {उत्तराखण्ड}₁ विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 है।

(2) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएँ

2. जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) ‘विद्या परिषद’ का तात्पर्य विश्वविद्यालय की शिक्षा परिषद से है,

(ख) ‘व्यवस्थापक मण्डल’ का तात्पर्य विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल से है;

(ग) ‘कुलाधिपति’ का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है;

(घ) ‘घटक महाविद्यालय’ का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय, या

संस्था	से है;
1987	(ड) 'तकनीकी शिक्षा परिषद्' का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, की धारा 3 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से है;
लिए ऐसे	{(च) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' का तात्पर्य उस पद्धति से है, जिसमें राज्य के भीतर शिक्षण के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों, जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर-दृश्य प्रसारण (टेलीकॉस्टिंग), इन्टरनेट पर ऑनलाइन, दूरसंचार की अन्य पारस्परिक विधियाँ, ई-मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, ई-लर्निंग पत्राचार पाठ्यक्रम या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो;} ²
अन्तर्गत	(छ) 'कर्मचारी' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी से है और इसके विश्वविद्यालय, या किसी संघटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित है;
	(ज) 'संकाय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की संकाय से है;
	(झ) 'वित्त समिति' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है;
	(ञ) 'सरकार' का तात्पर्य {उत्तराखण्ड} ¹ सरकार से है;
	(ट) 'हाल' अथवा छात्रनिवास का तात्पर्य विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा मान्य छात्रों के आवास की इकाई से है;
प्रधान	(ठ) 'विहित' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;
	(ड) किसी संघटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'प्राचार्य' का तात्पर्य संघटक महाविद्यालय के से है और इसमें जहाँ प्राचार्य नहीं है, उप-प्राचार्य या तत्समय प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है;
	1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 04 वर्ष 2010 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
	2. उपर्युक्त की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
	(ढ) 'कुल सचिव' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुल सचिव से है;
	{(ण) 'क्षेत्रीय 'केन्द्र' का तात्पर्य राज्य में स्थित ऐसे केन्द्र से है, जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के भीतर स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से की गयी हो;} ²
	(त) 'राज्य' का तात्पर्य {उत्तराखण्ड} ¹ राज्य से है;
	(थ) 'परिनियमों और नियमावली' का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों और नियमावलियों से है;
	{(द) 'अध्ययन' केन्द्र' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य के भीतर ऐसे केन्द्र से है, जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया हो;} ²
	(ध) 'अध्यापक' का तात्पर्य आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य/व्याख्याता ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिससे विश्वविद्यालय या किसी संगठन महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने, या अन्य शोध कार्य के संचालन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान उपयोग के मानदण्डों के अनुरूप नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी संगठक महाविद्यालय का प्राचार्य भी आता है;
	(न) 'विश्वविद्यालय' अनुदान आयोग' का तात्पर्य उस संस्थान से है, जिसकी स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत की गयी है;
	{(प) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित पतंजलि विश्वविद्यालय से है, जिसकी समस्त गतिविधियाँ उत्तराखण्ड राज्य के भीतर होगी और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों और दिशा-निर्देशों का पालन करेगा;} ²
	(फ) 'कुलाध्यक्ष' (विजिटर) का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष से है।
	(ब) "भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्" से तात्पर्य भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन स्थापित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से है।

अध्याय-2

विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य

विश्वविद्यालय की
अनुसार स्थापना के लिए
प्रस्ताव

- (1) पतंजलि योग (ट्रस्ट) को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।
- (2) पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) राज्य सरकार को विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव सहित एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगी। इस आवेदन-पत्र के प्रस्ताव में निम्न विवरण प्रस्तुत किये जायेंगे :-
 - (क) पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) का पूर्ण विवरण सहित विश्वविद्यालय के उद्देश्य;
 - (ख) विश्वविद्यालय की प्रास्थिति, विस्तार और भूमि की उपलब्धता;
 - (ग) आगामी पांच वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने शैक्षणिक एवं अनुसंधान कार्यक्रमों की प्रकृति तथा प्रकार;
 - (घ) संकायों की प्रकृति, पाठ्यक्रम तथा आरम्भ किया जाने वाला प्रस्तावित शोध कार्य;
 - (ङ) विश्वविद्यालय परिसर का विकास जैसे-भवन, उपस्कर तथा संरचनात्मक सुख-सुविधायें;
 - (च) आगामी पांच वर्षों के लिए पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध परिचय;
 - (छ) मदवार आवर्ती व्यय, वित्तीय स्रोत एवं प्रत्येक छात्र के लिए अनुमानित व्यय;
 - (ज) संसाधन जुटाने की योजना तथा उसकी पूंजीगत लागत और उन्हें चुकाने के तरीके;
 1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 04 वर्ष 2010 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
 2. उपर्युक्त की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
 - (झ) आन्तरिक संसाधनों-विद्यार्थियों से लिए जाने वाले शुल्क, परामर्श एवं अन्य विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय द्वारा आन्तरिक निधियों के सृजन की योजना;
 - (ञ) संस्था की लागत पर आने वाले व्यय, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए शिक्षण शुल्कों में दी जाने वाली रियायतों छूटों की सीमा निःशुल्कता और छात्रवृत्तियां तथा अप्रवासी भारतीयों एवं विदेश से आने वाले विद्यार्थियों से विभिन्न दरों पर, यदि कोई हों, लिए जाने वाले शुल्कों के स्वरूप का ब्यौरा;
 - (ट) पतंजलि योगपीठ में उपलब्ध सम्बन्धित विषयों में विशेषज्ञता एवं अनुभव की अवधि तथा वित्तीय संसाधन;
 - (ठ) विश्वविद्यालय में छात्रों की चयन पद्धति;
 - (ड) विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व ऐसी अन्य शर्तों की, जिनकी पूर्ति प्रदेश सरकार द्वारा अपेक्षित हो, पूर्ति की प्रास्थिति।

विश्वविद्यालय की
का स्थापना

- (1) यदि राज्य सरकार आवश्यक ऐसी जांच करने के उपरान्त जिसे वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाये कि धारा 3 की उपधारा (2) की निर्दिष्ट शर्तें पूर्ण कर ली गई हैं तो पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) दिल्ली, सम्पर्क कार्यालय-कृपालु बाग आश्रम, कनखल, हरिद्वार [उत्तराखण्ड]¹ को स्थायी विन्यास निधि स्थापित करने के लिए निर्देश देगी;
 - (2) स्थायी विन्यास निधि की स्थापना के उपरान्त राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित कर विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर प्रमाण-पत्र निर्गत करेगी।
 - [(3) पतंजलि विश्वविद्यालय का मुख्यालय उत्तराखण्ड, हरिद्वार, में स्थित होगा तथा जैसा समय-समय पर वह अपनी अधिकारिता के अन्दर राज्य में अन्य स्थानों पर भी परिसर अथवा क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों एवं योग प्रशिक्षण केन्द्रों, अनुसंधान संस्थान आदि की स्थापना कर सकेगा :
- परन्तु इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य संवैधानिक संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना होगा।]²
- (4) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति एवं व्यवस्थापक मंडल, प्रबन्ध मंडल एवं विद्या परिषद् के सदस्य इस प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय में तत्समय उक्त पदों पर कार्य करते हुए निगमित निकाय गठित कर सकेंगे और विश्वविद्यालय के नाम से वाद दायर कर सकेंगे एवं उन पर वाद चलाया जा सकता है।
 - (5) उपधारा (2) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने पर विश्वविद्यालय के प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहित निर्मित, सृजित, व्यवस्थित अथवा निर्मित

भूमि, चल एवं अचल सम्पत्तियां भी लिए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) एवं दिव्य योग मन्दिर (ट्रस्ट) की सम्पत्तियों को छोड़कर विश्वविद्यालय को अन्तरति एवं उसमें निहित हो जायेगी।

(6) विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहीत भूमि, भवन एवं अन्य सम्पत्तियों का उस प्रयोजन से भिन्न, जिसके लिए उन्हें अधिग्रहीत किया गया है, उपयोग नहीं किया जायेगा।

विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता लिए के लिए हकदार न की न हो तो कोई मांग करेगा, और न ही उसके लिए हकदार होगा।
होना

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 04 वर्ष 2010 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

किसी संस्था को करने की न होना 6. [राज्य में विश्वविद्यालय में संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, योग प्रशिक्षण व सम्बद्ध अनुसंधान केन्द्र हो सकते हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय राज्य के किसी अन्य अनुसंधान संस्थान शक्ति व विश्वविद्यालय के साथ सामूहिक अनुसंधान कार्य कर सकता है, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी। राज्य में परिसर के बाहर केन्द्र या अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय मानकों की स्थापना और उसके अनुरक्षण सम्बन्धी) विनियम का भी पालन किया जाना होगा।]

विश्वविद्यालय के उद्देश्य 7. (1) जिन उद्देश्यों के विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी वे निम्नलिखित हैं :-

- (क) पतंजली विश्वविद्यालय का उद्देश्य प्राचीन ऋषि-महर्षियों द्वारा निर्दिष्ट मौलिक तत्व ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में व्यापक अध्ययन-शिक्षण एवं गहन शोध अनुसंधान का सुव्यवस्थित तथा विश्व स्तर की विद्या को स्थापित करना है;
- (ख) राष्ट्र धर्म, स्वदेश प्रेम, स्वदेशी खानपान, आहार-शुचिता, जड़ी-बूटी व आयुर्वेद के संरक्षण व संवर्द्धन के विषय में युवाओं को जागृत करके रोजगारपरक शिक्षा को उपलब्ध कराना;
- (ग) योग, आयुर्वेद सहित वेद-वेदांग आदि सभी प्राचीन विधाओं पर आधारित विविध महाविद्यालयों की स्थापना एवं पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करना। विश्वविद्यालय को अपने उद्देश्यों के प्रोत्साहन हेतु नये अन्य डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम आरम्भ करने का अधिकार होगा;
- (घ) उपरोक्त (ग) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षण प्रदान करने के लिए अनवरत शिक्षा के अधीन संघटक केन्द्र की स्थापना।
- (2) भारतीय संस्कृति योग, आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवीन परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना और उसके द्वारा :-
- (क) ज्ञान की ऐसी सम्बन्धित शाखाओं में शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, जिन्हें वह आवश्यक समझे;
- (ख) विद्यालयों में ज्ञान की उत्पत्ति, और प्रचार के लिए शोध कार्य की व्यवस्था करना, जिससे विश्व पटल पर इन विधाओं को स्थापित किया जा सके तथा छात्र/छात्राओं को रोजगार भी सहज उपलब्ध हो सके।
- (ग) योग, आयुर्वेद सम्बन्धी अध्ययन और ऐसी अन्य गतिविधियां आरम्भ करना, जिससे आम जनता को योग, आयुर्वेद का लाभ मिल सके, जिससे रोग मुक्त स्वस्थ एवं समृद्ध समाज व राष्ट्र की सोच को विकसित किया जा सके।

विश्वविद्यालय की शक्तियां 8. (1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी; अर्थात्-

- (क) भारतीय संस्कृति, मानविकी, सूचना प्रौद्योगिकी, सहबद्ध क्षेत्रों तथा सम्बन्धित सभी विषयों में शिक्षण व्यवस्था करना तथा अनुसंधान एवं ज्ञान के अभिवर्द्धन और प्रसार का प्राविधान करना;
- (ख) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसी अन्य समस्त गतिविधियां सम्पादित करना जो आवश्यक अथवा साध्य हों;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाएँ आयोजित करना तथा उन्हें उपाधियाँ या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ संस्थित और प्रदान करना जिन्होंने :-

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० ०४ वर्ष २०१० की धारा ५ द्वारा प्रतिस्थापित।

(१) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय या दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों या योग प्रशिक्षण केन्द्रों में शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; या

(२) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में, या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन शोध कार्य किया हो।

(घ) परिनियमों/प्राविधानों में अभिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद उपाधियों, या अन्य शैक्षिक विशेषताएं प्रदान करना;

(ङ) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ तथा पुरस्कार संस्थित एवं प्रदान करना।

(च) ऐसी फीस, बिल, बीजक की मांग करना और प्राप्त करना तथा प्रभार संग्रह करना जो यथास्थिति, परिनियमों या नियमों द्वारा नियत किया जाये;

(छ) धारा (७) में उल्लेखित योग, आयुर्वेद और अन्य क्षेत्र में शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करना;

(ज) विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा के अतिरिक्त (पाठ्येत्तर) अन्य गतिविधियों की व्यवस्था करना;

(झ) विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों तथा योग प्रशिक्षण केन्द्रों में संकाय अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;

(ञ) पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय, या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों और योग प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रयोजनार्थ संप्रदान और किसी प्रकार के उपहार प्राप्त करना तथा न्यास और विन्यास की सम्पत्तियों सहित किसी चल, अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण धारण, अनुरक्षण और निपटारा करना;

(ट) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों के लिए हाल/छात्रावास आदि स्थापना और उनका अनुरक्षण करना और निवास स्थानों को निश्चित करना;

(ठ) आवास का नियन्त्रण, पर्यवेक्षण और समस्त श्रेणी के कर्मचारियों एवं छात्रों के मध्य अनुशासन पर नियंत्रण रखना तथा आचार संहिता सहित ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तें विनिर्दिष्ट करना;

(ड) प्रशासनिक, प्रबन्धन एवं सहायक कर्मचारियों और अन्य आवश्यक पदों का सृजन;

(ढ) अन्य विश्वविद्यालय से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य या सहयोग करना, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें;

(ण) दूरस्थ शिक्षा पद्धति और ऐसी रीति की व्यवस्था करना जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा को आयोजित किया जा सके;

(त) अध्यापकों, पाठ लेखकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम कार्यशालाएं, संगोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना;

(थ) विश्वविद्यालय या किसी संगठक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र और योग प्रशिक्षण केन्द्रों में विशिष्ट समितियों के माध्यम से एवं विद्या परिषद् के अनुमोदन से प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना;

(द) विश्वविद्यालय या किसी संगठक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र और योग प्रशिक्षण केन्द्रों में किसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उत्तराखण्ड राज्य के छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था करना;

(ध) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक ऐसे अन्य सभी कार्य करना चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के प्रासंगिक हो या न हों;

(न) योग आयुर्वेद तथा सम्बन्धित विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध के लिए ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित करना तथा डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र आदि के लिए पाठ्यक्रम आरम्भ करना, जो विश्वविद्यालय अनुदान, जो आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा आच्छादित हो परन्तु डिप्लोमा सार्टिफिकेट

आदि दिये जाने के सम्बन्ध में अपना पाठ्यक्रम लागू करने हेतु विश्वविद्यालय को स्वतन्त्रता होगी;

(प) फिल्म कैसेट, टेप, वीडियो कैसेट, सी.डी., वी.सी.डी. और अन्य सॉफ्टवेयर इत्यादि सहित शैक्षिक सामग्री तैयार करने की व्यवस्था करना;

(फ) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि (पूर्ण या आंशिक) को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि के समतुल्य मान्यता प्रदान करना और उनको दी गई मान्यता किसी भी समय समाप्त करना;

(ब) व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या उसके बिना विश्वविद्यालय के लिए धन जुटाना, संग्रह करना, स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना;

(भ) संविदा करना उसका निष्पादन करना, उसमें परिवर्तन करना या उसे समाप्त करना।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी लेकिन उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों को प्रोत्साहित करने तथा ऐसी प्रणालियों में शिक्षण, मूल्यांकन और शोध मानक निर्धारित करने के लिए वे सभी उपाय करना विश्वविद्यालय का कर्तव्य होगा जो वह उचित समझे और इस कार्य के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और योग प्रशिक्षण केन्द्रों को चाहे उन्हें विशेषाधिकार स्वीकृत हो अथवा नहीं अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्था को अनुदानों के आवंटन एवं संवितरण की शक्ति सहित ऐसी शक्तियां प्राप्त होगी जो संविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

विश्वविद्यालय में 9. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए चाहे वे किसी भी वर्ग, जाति या लिंग के हों, के प्रवेश सभी वर्ग, जाति के लिए खुला रहेगा :
एवं लिंग की परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा पहुँच होगी [उत्तराखण्ड] के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए विशेष प्राविधान करने पर प्रतिबन्ध है :

परन्तु और यह भी इस धारा के किसी बात के होते हुए भी यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय या किसी संगठक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों या योग प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में परिनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित होगा।

राष्ट्रीय प्रत्यायन 10. विश्वविद्यालय विभिन्न राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्थाओं से मान्यता प्राप्त करेगा।

अध्याय-3

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के 11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :—
अधिकारी (क) कुलाध्यक्ष (विजिटर);

(ख) कुलाधिपति;

(ग) कुलपति;

(घ) प्रति-कुलपति (प्रो-वाइस चांसलर);

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 04 वर्ष 2010 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ङ) संकायाध्यक्ष

(च) कुल सचिव

(छ) वित्त अधिकारी और

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी, संविधियों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाय।

कुलाध्यक्ष
(विजिटर)

12. (1) उत्तराखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।

(2) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हों, तो उपाधियों एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(3) कुलाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

- (क) विश्वविद्यालय के मामलों से सम्बन्धित किसी भी अभिलेख, पत्र या सूचना को मंगाना;
- (ख) कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर यदि कुलाध्यक्ष उसका समाधान हो जाता है कि कोई आदेश, कार्यवृत्त या निर्णय चाहे विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय, अधिनियम, विनियम, अध्यादेश अथवा नियमावली के अनुरूप नहीं हो तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे, निर्देश दे सकेंगे और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी सम्बन्धितों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
- (4) मानक उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन होगा।

कुलाधिपति

13. (1) योगगुरुषि स्वामी रामदेव अध्यक्ष पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) एवं दिव्य योग मन्दिर (ट्रस्ट) कनखल, हरिद्वार इस पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति होंगे, जिनका कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा तत्पश्चात् पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) अपने ही ट्रस्टियों में से कुलाध्यक्ष की पूर्व सहमति से कुलाधिपति नियुक्त करेगी।

(2) कुलाधिपति की ऐसी शक्तियां होगी, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदान की जाय।

कुलपति
व्यक्तियों

14. (1) कुलपति द्वारा उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन के पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

(क) कुलाध्यक्ष तथा कुलाधिपति द्वारा नामित एक-एक सदस्य;

(ख) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;

(ग) व्यवस्थापक मंडल द्वारा मनोनीत तीन सदस्य, जिनमें से एक को व्यवस्थापक मंडल द्वारा समिति के संयोजक के रूप में नामित किया जायेगा।

(3) समिति योग्यता के आधार पर उप कुलाधिपति के पद के योग्य तीन व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक योग्यताओं तथा अन्य विशिष्टताओं के संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को भेज देगी।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यपालकों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को लागू करेगा।

(5) जहां अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाई करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी सशक्त अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्यवाई कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या नियमावली द्वारा अधिकथित किये जायें।

(7) कुलाधिपति को सम्यक् जाँच के बाद कुलपति को हटाने का अधिकार प्राप्त है। कुलाधिपति, जाँच के दौरान आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, जैसा वह उचित समझे, कुलपति का निलम्बित कर सकेगा।

प्रति-कुलपति

15. प्रति-कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जा सकेगी, जैसी कि परिनियमों में विहित की जाये और प्रति-कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

संकायाध्यक्ष

16. संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी कि परिनियमों द्वारा वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करें जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

कुल सचिव
की

17. (1) कुलसचिव की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जाएगी, जैसा कि विहित की जाए।

(2) कुलसचिव विश्वविद्यालय की और से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

- (3) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जायें, या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों।
- (4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएं और दस्तावेज, जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

वित्त अधिकारी	18. वित्त अधिकारी कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायें।
अन्य अधिकारी	19. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निबन्धन और शर्तें, तथा गण शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जो विहित किये जाय।

अध्याय-4

विश्वविद्यालय प्राधिकरण

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी	20. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :- (क) व्यवस्थापक मण्डल (ख) प्रबन्धक मण्डल (ग) शैक्षिक (विद्या) परिषद (घ) वित्त समिति, और (ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें संविधियों द्वारा विश्वविद्यालय के परिनियमों में प्राधिकारी घोषित किये जाएँ।
व्यवस्थापक मण्डल व उसकी शक्तियां	21. (1) व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित होंगे (क) कुलाधिपति — अध्यक्ष; (ख) कुलपति — सदस्य-सचिव; (ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव या राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य सरकार का सचिव; (घ) राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव या राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य सरकार का सचिव; (च) पतंजली योगपीठ (ट्रस्ट) द्वारा नामित पांच सदस्य; (छ) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित तीन शिक्षाविद; (ज) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित एक सदस्य; (झ) योग, आयुर्वेद के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने वाले संस्थान के वैज्ञानिक या अधिकारी से कुलाधिपति द्वारा नामित तीन अधिकारी। (2) व्यवस्थापक मण्डल, विश्वविद्यालय की प्रमुख प्रशासनिक संख्या होगी और उसकी शक्तियां होगी :- (क) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण; (ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का, यदि वे ऐसे अधिनियम या परिनियमों या नियमावली के उपबंधों के अनुरूप न हो का पुनर्विलोकन; (ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन; (घ) नई अथवा अतिरिक्त परिनियमों को बनाना या पूर्व में बने परिनियमों अथवा नियमावलियों का संशोधन या निरसन; (च) विश्वविद्यालय के स्वेच्छिक समापन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना; (छ) राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों को अनुमोदन; और (ज) ऐसे निर्णय एवं प्रयास करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए वांछनीय पाये गये हैं। (झ) एक या अधिक पर्यवेक्षक नामित करना कि समय-समय पर कुलाधिपति की सलाह एवं निर्देशों के अन्तर्गत नीति एवं ढांचा निर्धारित करेगा/करेंगे, जिसके अन्तर्गत मण्डल, विद्या परिषद, वित्त समिति एवं अन्य ऐसे प्राधिकरण जो कि परिनियमों घोषित हों, विश्वविद्यालय के उचित प्रशासन के लिए कार्य करेंगे एवं प्रस्ताव
निम्नलिखित	
प्रबन्धक द्वारा	

- करेंगे।
कि
- प्रबन्ध मण्डल 22. (3) व्यवस्थापक मण्डल की वर्ष में न्यूनतम तीन बैठकें ऐसे समय और स्थान पर होगी जैसा कुलाधिपति उचित समझें।
- (1) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-
(क) कुलपति;
(ख) कुलाधिपति द्वारा नामित एक अधिकारी;
(ग) पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) द्वारा नामित पांच सदस्य;
(घ) एक वर्ष की अवधि के लिए ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के दो प्राध्यापक;
(ङ) कुलाधिपति द्वारा नामित दो संकायाध्यक्ष
(च) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति, जिसका पद राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से निम्न पद का न हो।
- (छ) कुलपति प्रबन्ध मण्डल का सभापति एवं कुल सचिव इसके सचिव होंगे।
- (2) प्रबन्ध मण्डल की शक्तियाँ एवं कृत्य वही होंगे, जो विहित किये जायें।
- शैक्षिक (विद्या) 23. (1) शैक्षिक (विद्या) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे
:- परिषद् (क) कुलपति – सभापति
(ख) कुलसचिव – सचिव;
(ग) ऐसे अन्य सदस्य – जैसा परिनियमों में विहित किया जाये।
- (2) शैक्षिक (विद्या) परिषद्, विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक संस्था होगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अन्तर्गत रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के समन्वय स्थापित करेगी और उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।
- वित्त समिति 24. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-
(क) कुलपति – सभापति;
(ख) वित्त अधिकारी;
(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिसका पद राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद से कम न हो;
(घ) राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति जिसका पद राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद से कम न हो;
(ङ) ऐसे अन्य सदस्य जो परिनियम में विहित किये जायें।
- (2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय संस्था होगी, जो वित्तीय मामलों की देख-भाल करेगी, और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों में समन्वय स्थापित करेगी एवं उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।
- अन्य प्राधिकरण 25. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे कि विहित किये जायें।
- रिक्ति के कारण 26. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य कार्यवाही का न होगी कि प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी।
अविधिमान्य न होना

अध्याय-5

परिनियम और नियमावली

- परिनियम 27. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में किसी विषय के लिए परिनियम और नियमावली द्वारा व्यवस्था की जा सकती हैं जो निम्नवत हैं:—
- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य-सम्पादन और ऐसी इकाइयों के गठन की प्रक्रिया, जो इस विधेयक में विनिर्दिष्ट नहीं की गई हैं;

- (ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का संचालन;
- (ग) कुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति की शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;
- (घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की भर्ती की रीति और सेवा शर्तें;
- (ङ) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के निराकरण की प्रक्रिया;
- (च) विभागों और संकायों का सृजन, उत्पादन और उनकी पुनर्संरचना;
- (छ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति;
- (ज) मानद उपाधियों को प्रदान करने की प्रक्रिया;
- (झ) निःशुल्कता और छात्रवृत्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में उपबन्ध;
- (ञ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की, जिसमें स्थानों का आरक्षण भी सम्मिलित है तथा उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया;
- (ट) विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क;
- (ठ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, फीस माफी, पदकों और पुरस्कारों की स्थापना;
- (ड) पदों का सृजन और समापन की प्रक्रिया;
- (ढ) अन्य मामले, जो विहित किए जायें।
- परिनियम कैसे प्रस्तुत बनाये जायेंगे दिनांक के 28— (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये गये परिनियमों को राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए किये जायेंगे, जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के परिनियमों की प्राप्ति के तीन माह के अन्दर अपना अनुमोदन दे सकेंगे।
- (2) यदि राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में परिनियमों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है, वहां यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने परिनियमों को अनुमोदित कर दिया है।
- परिनियम संशोधन करने की शक्ति नियम 29— व्यवस्थापक मण्डल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।
- 30— इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए नियमों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपलब्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् —
- (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस रूप में बने रहना;
- (ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;
- (ग) उपाधियों तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं को प्रदान करना;
- (घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;
- (ङ) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;
- (च) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विष्टिताओं में प्रवेश करने के लिए लिया जाने वाला शुल्क;
- (छ) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें;
- (ज) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;
- (झ) अन्य सभी विषय, जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों या परिनियमों में प्राविधान किया जाये।
- नियमावली कैसे बनायी जायेगी 31— (1) नियमावली व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाई जायेगी और इस प्रकार बनाई गई नियमावली राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जायेगी, जो कि नियमावली की प्राप्ति के दिनांक से दो माह के अन्दर उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के साथ अपना अनुमोदन दे सकेगी।

- (2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में नियमावली के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई भी विनिश्चय करने में असमर्थ रहती है, वहां यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने नियमावली को अनुमोदित कर दिया है।

नियमावली को संशोधित करने शक्ति 32— राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यक्षीन रहते हुए और प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन से शैक्षिक (विद्या) परिषद् नये तथा अतिरिक्त नियम बना सकेगी या नियमावली को संशोधित या निरस्त की कर सकेगी।

अध्याय-6

प्रकीर्ण

- कर्मचारियों की विश्वविद्यालय सेवा शर्तें 33— (1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी, जो के पास रख जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।
- (2) छात्रों या कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई विश्वविद्यालय परिनियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार नियंत्रित होगी।
- (3) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर माध्यस्थम् (आर्बिटेशन) अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें प्रबन्ध मंडल द्वारा नियुक्त एक सदस्य सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होंगे।
- (4) ऐसे मामलों में अधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

(5) अधिकरण के कार्यों को विनियमित करने की प्रक्रिया इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विहित की जाये।

अपील का अधिकार 34— विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, योग प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रत्येक कर्मचारी को विश्वविद्यालय या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, योग प्रशिक्षण केन्द्र के किसी अधिकारी या प्राधिकारी, यथास्थिति विनिश्चय के विरुद्ध प्रबन्ध मण्डल को, ऐसे समय के अन्दर, जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध मण्डल ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि, उपान्तरित या परिवर्तित कर सकेगा।

भविष्य निधियां एवं पेंशन 35— विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो विहित की जाये, ऐसे भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा योजना की व्यवस्था करेगा, जैसा वह उचित समझे।

विश्वविद्यालय प्राधिकरण और का सदस्य के रूप में विधिवत् निर्वाचित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने निकायों के गठन के बारे में विवाद

का हकदार है, तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन 37— जब भी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को, इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन, समितियां नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हो, वहां ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी का कोई समस्त सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्तियों, यदि कोई हों, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, सम्मिलित होंगे।

आकस्मिक रिक्तियों की 38— विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी पूर्ति रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है/भरती है, सदस्य बना रहता।

सद्भावनापूर्ण गयी 39— कोई वाद या अन्य विधिक कार्रवाही, किसी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या की परिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है या की जाने के कार्यवाही के लिए आशयित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित नहीं लिए संरक्षण होगी।

संकमणकालीन उपबन्ध 40— इस अधिनियम और परिनियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी:—

नियुक्त (क) प्रथम कुलपति एवं प्रति कुलपति (प्रो-वाइस चांसलर), यदि कोई है, कुलाधिपति द्वारा किया जायेगा और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि तक उस पद पर कार्य करेगा;

	(ख) प्रथम कुल सचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी, जो तीन वर्ष की अवधि तक उस पद पर कार्य करेंगे;
	(ग) प्रथम व्यवस्थापक मण्डल में तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेगा;
	(घ) प्रथम प्रबन्धक मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद् का गठन, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा।
स्थायी विन्यास जायेगी, निधि	41— (1) विश्वविद्यालय द्वारा कम से कम तीन करोड़ रुपये स्थायी विन्यास निधि स्थापित की जिसे वह आवश्यकता पड़ने पर स्वमेव ही बढ़ा सकेगा, परन्तु घटा नहीं सकता। (2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को विहित रीति से निवेश करने की शक्ति होगी। (3) विश्वविद्यालय द्वारा सामान्य निधि या विकास निधि से कोई भी धनराशि स्थायी विन्यास निधि में अन्तरित की जा सकती है। विश्वविद्यालय के समापन के अतिरिक्त किसी भी अन्य परिस्थिति में अन्य प्रयोजनों के लिए कोई धनराशि विन्यास निधि की राशि से अन्तरित नहीं की जा सकती। (4) स्थायी विन्यास निधि की राशि से प्राप्त आय का 75 प्रतिशत से अनधिक विश्वविद्यालय के विकास कार्यों के लिए उपयोग में लाया जायेगा और शेष 25 प्रतिशत को स्थायी विन्यास निधि में पुनर्निवेशित कर दिया जायेगा।
सामान्य निधि	42— (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक सामान्य निधि स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् — (क) विश्वविद्यालय द्वारा लिए जाने वाली सभी शुल्क; (ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि; (ग) पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) द्वारा किये गये सभी अंशदान; और (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान। (2) सामान्य निधि हेतु आशयित निधि का प्रयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्तक व्ययों की पूर्ति के लिए किया जायेगा।
विकास निधि निधियाँ	43— (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक विकास निधि भी स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित जमा की जायेगी; अर्थात् — (क) विकास शुल्क, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाये; (ख) विश्वविद्यालय के विकास प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि; (ग) पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) द्वारा किये गये सभी अंशदान; (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान; और (ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय। (2) समय-समय पर विकास निधि में जमा की गयी निधियों का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।
निधि का अनुरक्षण	44— धारा 41, 42 और 43 के अधीन स्थापित निधियों को, व्यवस्थापक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्याधीन रहते हुए, विहित रीति से विनियमित एवं अनुरक्षित किया जायेगा।
वार्षिक प्रतिवेदन जायेगा	45— (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किया और उसे व्यवस्थापक मण्डल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। (2) व्यवस्थापक मण्डल, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और वह उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित कर सकता है। (3) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विधिवत् अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) राज्य सरकार को प्रेषित नहीं की जायेगी।
लेखा व लेखा तैयार परीक्षा	46— (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र प्रबन्धक मण्डल के निर्देशों के अधीन किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और

ऐसी समस्त धनराशि की, जिनका संवितरण या भुगतान किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखे गए लेखों में प्रविष्टि की जायेगी।

- (2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं की प्रतिवर्ष लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा की जायेगी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया (आई.सी.ए.आई.) के सदस्य हो।
- (3) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखाओं और तुलन-पत्र की एक प्रति, प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से काफी पहले व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।
- (4) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखों, तुलन-पत्र और लेखा-परीक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक मण्डल उन्हें उन पर अपनी अभ्युक्तियों के साथ प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।
- (5) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और लेखा-परीक्षा पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी होंगे।

विश्वविद्यालय के 47- विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, अभिलेख को सिद्ध आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा करने की रीति सम्यक रूप से विधिवत् रखी गई किसी पूंजी की कोई प्रविष्टि यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या पंजिका में प्रविष्टि होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और संव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा, जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई हो, तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार होगी। विश्वविद्यालय का 48- (1) यदि पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) द्वारा विश्वविद्यालय के गठन और निगमन को नियंत्रित करने विघटन वाली विधि के अनुसार उसके समापन का प्रस्ताव रखती हो तो उसे राज्य सरकार को कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा।

- (2) विश्वविद्यालय की प्रबन्ध प्रणालियों में कुप्रबन्ध, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में विफल होना एवं आर्थिक कठिनाइयों की पहचान किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के प्रबन्ध व्यवस्था को निर्देश जारी करेगी, जिनका ऐसी समय सीमा के अधीन, जैसी विहित की जाये, अनुपालन न होने पर विश्वविद्यालय के परिसमापन का निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।
- (3) विश्वविद्यालय का परिसमापन ऐसी रीति से किया जायेगा, जो इस विषय में राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये, परन्तु उसके लिए पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) 'कारण बताओ नोटिस' के लिए समुचित अवसर प्रदान किये बगैर ऐसी कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की जायेगी।
- (4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं तत्सम्बन्धी संवैधानिक संस्था से परामर्श करके पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) द्वारा विश्वविद्यालय के प्रस्तावित दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

विश्वविद्यालय के 49- (1) धारा 48 के अधीन विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन विघटन के समय के लिए होने वाला व्यय स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से पूरा किया विश्वविद्यालय व्यय के जोयगा।

- (2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियां, विश्वविद्यालय का प्रबन्धन ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों अथवा आस्तियों के निस्तारण द्वारा की जा सकती है।

प्रवेश तथा शुल्क 50- निजी क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश एवं शुल्क के सम्बन्ध में राज्य के लिए पारित सरकार द्वारा, जो विधि पारित की जायेगी, वह इस विश्वविद्यालय में भी लागू होगी। विधि का लागू होना

कठिनाइयों का निराकरण 51— (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचना या आदेश द्वारा, ऐसे प्राविधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

- प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन कोई अधिनियम या आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं दिया जायेगा।
- (2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

THE UNIVERSITY OF PATANJALI ACT, 2006

[[Uttarakhand] Act No. 04 of 2006]

to establish and incorporate an University in the name of University of Patanjali with facilities for education, training and research in the areas of Yoga, Ayurveda and culture of Medicinal Herbs/Plants and studies and in related areas sponsored by The Patanjali Yog Peeth (Trust).

A
N

A
C
T

IT is HEREBY enacted by the [Uttarakhand] State Assembly in the 57th Year of the Republic of India as follows:

CHAPTER-I Preliminary

- | | |
|------------------------------|--|
| Short title and commencement | 1. (1) This Act may be called the University of Patanjali Act, 2006.

(2) It shall come into force on the date; the Notification is issued by the State Government. |
| Definitions | 2. In this Act, unless the context otherwise requires:-

(a)"Academic Council" means the Academic Council of the University;
(b)"Board of Governors" means the Board of Governors of the University;
(c)"Chancellor" means the Chancellor of the University;
(d)"Constituent College" means a college or institution maintained by the University;
(e)"Council for Technical Education" means the All India Council for Technical Education established under section (3) of the All India Council for Technical Education Act, 1987;
(f) "Distance Education System" means the system of imparting education with the State through any means of information technology and communication such as multimedia, broadcasting, telecasting, on-line on internet, other interactive methods, e-mail, internet, computer, e-learning, correspondence course, or a combination of any two or more of such means;] ²
(g) "Employee" means employee appointed by the University and includes teachers and other staff of the University or a constituent college;
(h) "Faculty" means faculty of the University;
(i) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University;
(j) "Government" means the Government of [Uttarakhand] ¹ ; |

- (k) "Hall" means a unit of residence for students maintained or recognized by the university or a contentment college,
- (l) "Prescribed" means prescribed by the Statutes;
- (m) Principal" in relation to a constituent college, means the head of the constituent college, and includes, where there is no Principal, the Vice Principal or any other person for the time being appointed to act as Principal;
1. Substituted by section 2 of Uttarakhand Act No. 04 of 2010. 2. Subs. by section 3 ibid.
- (n) "Registrar" means the Registrar of the University;
- [(o) "Regional Centre" means a centre within the State established or maintained by the University for the purpose of co-ordinating, supervising the work of Study Centres located in the State and for performing such other functions as may be conferred on such centre by the Board of Management;]²
- (p) "State" means State of [Uttarakhand]¹ ;
- (q) "Statutes" and "Rules" mean, respectively, the Statutes and Rules of the University;
- [(r) "Study Centre" means a centre within the State established, maintained and recognized by the University for the purpose of advising, counseling or for rendering such other assistance required by the students;]²
- (s) "Teacher" means a Professor, Associate Professor, Assistant Professor/ Lecturer or such other person as may be appointed for imparting instruction or conducting research in the University or in a Constituent College and includes the Principal of Constituent College;
- (t) "UGC" means University Grants Commission established under The University Grants Commission Act, 1956;
- [(u) "University" means the proposed University of Patanjali established under this Act which shall function within the State of Uttarakhand and shall comply with the orders and guidelines of the University by the students;]²
- (v) "Visitor" means the visitor of the University.
- (w) "Indian Medical Central Council" means the Indian Medical Central Council established under The Indian Medical Central Council Act, 1970.

CHAPTER-IT

The University and its Objects

- | | |
|---|--|
| <p>Proposal for the the establish-ment of the University made</p> | <p>3. (1)The Patanjalii Yog Peeth (Trust), N. Delhi shall have the right to establish University in accordance with the provisions of this Act.</p> <p>(2)An application containing the proposal to establish a University shall be to the State Government by the Patanjalii Yog Peeth (Trust). The proposal shall contain the following particulars. namely:-</p> <p>(a)the objects of the, University along with the details of the Patanjali Yog Peeth (Trust),</p> <p>(b)the extent and status of the University and the availability of land;</p> <p>(c)the nature and type of programmes of study and research to be undertaken in the University during a period of the next five years;</p> |
|---|--|

- (d)the nature' of faculties, course of study and research proposed to be started;
- (e)the campus development such as buildings, equipment and structural amenities;
- (f)the phased outlays of capital expenditure for a period of the next five years;
- (g)the item-wise recurring expenditure" sources of finance and estimated expenditure for each student;
- (h)the scheme for mobilizing resources and the cost of capital thereto and the manner of repayments to each source;
 - 1. Substituted by section 2 of Uttarakhand Act No. 04 of 2010.
 - 2. Subs. by section 3 ibid.
- (i)the scheme of generation of funds internally through the recovery of fee from students, revenues anticipated from consultancy and other activities relating to the objects of the University and other anticipated incomes;
- (j)the details of expenditure on unit cost, the extent of concessions or rebates in fee freeship and scholarship for students belonging to economically weaker sections and the fee structure indicating varying rate of fee, if any, that would be levied on non resident Indians and students of other nationalities;
- (k)the years of experience and expertise in the concerned discipline at the command of the Patanjali Yoga Peeth (Trust) as well as the financial resources;
- (l)the system for selection of students to the courses of study at the University, and
- (m)status of fulfillment of such other conditions as may be required by the State Government to be fulfilled before the establishment of the University,

Establishment
is of University

4. (1)Where the Sate Government, after such inquiry as it may deem necessary, satisfied that Patanjali Yog Peeth (Trust), Delhi camp office at Kripalu Bagh Ashram, Kankhal, Haridwar [Uttarakhand]¹ has fulfilled the conditions specified in sub- section (2) of Section 3, it may direct the Patanjalii Yog Peeth (Trust) to establish an Endowment Fund.
 - (2)After the establishment of the Endowment Fund, the State Government may, by notification in the Official Gazette, accord sanction for establishment of the University.
 - [(3) The Headquarters of the University of Patanjali shall be at Haridwar, Uttarakhand and it may also have campuses or regional centres, Study Centres and Yoga Training Centre, research institution etc. in the State within its jurisdiction :

Provided that the procedure prescribed by University Grants Commission and other statutory institutions shall have to be followed in this regard.]²
 - (4) The Chancellor, the Vice-Chancellor, members of the Board of Governors, members of the Board of Management and the Academic Council for the time being holding office as such in the University so established, shall constitute a body corporate and can sue and be sued in the name of the University.

- (5) On the establishment of the University under sub-section (2), the land and other movable and immovable properties acquired, created, arranged or built by the University for the purpose of the University except the properties of Patanjali Yog Peeth and Divya Yog Mandir (Trust), shall stand transferred to, and vest in, the University.
- (6) The land, building and other properties acquired for the University shall not be used for any purpose, other than that for which the same is acquired.
- University not entitled financial assistance 5. The University shall be self-financing and shall neither make a demand nor to be shall be entitled to any grant in-aid or any other financial assistance from the to State Government or any other body or corporation owned or controlled by the State Government.
- 1.Substituted by section 2 of Uttarakhand Act No. 04 of 2010. 2.Subs. by section 4 ibid.
- No Power to any 6. [The University may have Constituent Colleges, Regional Centres, Study affiliate Centres, Yoga training and Research Centres in the State. The Patanjali institute. University may carry out collaborative research activities with any research Institution and University of the State but shall have no power to admit any other college or institution to the privileges of affiliation, the processor of the Regulation of University Grant Commission (Establishment and maintenance of standard in Private Universities) shall also have to be complied with in relation to the establishment the off campus centres or study centres.]¹
- Objects of the University 7. (1) The objectives for which the University is established are as follows:-
- (a) objective of Patanjali University is to establish and investigate thorough scientific basis for the knowledge advanced by the ancient Indian sages and to undertake systematic research investigations in the background of scientific facts so as to provide it a firm foundation in the emerging world;
 - (b) to provide employment oriented education and awaking to the youths so that they become in grained to preserve knowledge of Ayurveda, herbal medicines, food hygiene, Rashtra dharma, Swadesh prem and swadeshi life style;
 - (c) to establish various colleges and institutions based on traditional lines including Yog, Ayurveds, Veda and Vedang etc. and to provide graduate and post graduate degree courses. And will have right to meet our own objectives, to run diploma courses and certificate programmes which may be sponsored by University Grants Commission;
 - (d) to establish constituent centre for continuing Education to provide instructions through distance learning methodology for the courses in (C) above.
- (2) To establish a Research and Development center to promote research and innovations in the field of Yog, Ayurveda, Indian culture and Traditional Sciences :--
- (a) to provide for instructions and training in such related branches of learning as it may deem fit;
 - (b) to arrange the research activities for the creation and dissemination of knowledge in schools, so that these traditions may be establish on the world for and also for the easy achievements of employment of students;

- (c) to undertake Yoga/Ayurveda and other such activities related studies so that common people leading to Revival of Indian culture in high esteem.
- Power of the University 8. (1) The University shall have the following powers. namely :-
- (a) to provide for instruction in all disciplines of Indian culture, Humanities information technology and allied fields and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge;
 - (b) to carry out all such activities as may be necessary or feasible In furtherance of the objects of the University;
 - (c) to hold examinations for, and to institute grants and confer degrees or other academic distinctions to, and on, persons, who-
 - 1. Substituted by section 5 of Uttarakhand Act No. 04 of 2010.
 - (i) have pursued a course of study in the University or in a constituent College or through its distance education system at Regional Center/ Study Center/ Yoga Training Centres
 - (ii) have carried on research in the University or in a constituent body or under its distance education system.
 - (d) to confer honorary degree. or other academic distinctions in the manner and under conditions laid down in the Statutes/ Provisions;
 - (e) to institute and award fellowships, scholarships and prizes etc. In accordance with the Statutes;
 - (f) to demand and receive such fees, bills, invoices and collect charges as may be fixed by the Statutes or rules, as the case may be;
 - (g) to make provisions for the advancement of Yoga and Ayurveda and other mentioned in Section 7;
 - (h) to make provisions for extra curricular activities for students and employers;
 - (i) to make appointments of faculty, officers and employees of the University or a Constituent College, Regional Center, Study Center and Yoga Training Center;
 - (j) to receive donations and gifts of any kind and to acquire, hold, manage, maintain and dispose of any movable or immovable property, including trust and endowment properties for the purpose of the University or a Constituent College, Regional Center, Study Center and Yog training Centers with the prior permission of Patanjali Yog Peeth (Trust).
 - (k) to institute and maintain halls and to recognize places of residence for students of the University or in a Constituent College;
 - (l) to supervise and control the residence, and to regulate the discipline among the students and all categories of employees and to lay down the conditions of service of such employees, including their Code of Conduct;
 - (m) to create administrative, managerial, employees and other necessary posts;
 - (n) to co-operate or collaborate with other Universities in such manner and for such purposes as the University may determine from time to time;

- (0) to provide distance education system and the manner in which distance education in relation to the academic programmes of the University may be organized;
 - (o) to organize and conduct refresher courses, orientation courses, workshops, seminars and other programs for teachers, lesson writers, evaluators and other academic staff;
 - (p) to determine standards of admission to the University or a Constituent College, Regional Center, Study Center and Yoga training Center through specialized committee with the approval of Academic Council;
 - (q) to make special provision for students belonging to the state of [Uttarakhand] for admission in any course of the University or in a Constituent College, Regional Center, Study Center and Yoga training Center;
 - (r) to do all such other acts or things whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be necessary to further the objects of the University;
 - (s) to prescribe such courses for Bachelor Degree, Post Graduate and Research and to start diplomas, certificates etc. in Yog and Ayurveda related subjects;
 - (t) which would be covered by UGC and AICTE but university shall have right to start diplomas Certificates etc. in its own subject.
 - (u) to provide for the preparation of instructional materials, including films, cassettes, tapes, CD, VCD and other software's;
 - (v) to recognize examinations of, or periods of study (whether in full or in part) at, other universities, institutions or other places of higher learning as equivalent to examinations or periods of study in the University and to withdraw such recognition at any time; ..
 - (w) to raise, collect, subscribe and borrow with the approval of the Governing Body whether on the security of the University, money for the purpose of the University; .
 - (x) to enter into, carry out, vary or cancel contracts.
- (2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, but without prejudice to the provisions of sub-section (1), it shall be the duty of the University to take all such steps as it may deem fit for the promotion of the open university and distance education systems,' and for the determination of standards of teaching evaluation and research in such systems and for the purpose of performing this function, the University shall have such powers, including the power to allocate and disburse grants to Colleges, Regional Centers and Study Centers whether admitted to its privileges or not, or to any other University or institution of higher learning, as may be specified by the Statutes.

University to all classes, castes, creed and gender : 9. The University shall be open to all persons irrespective of class, creed or Open

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the gender University from making special provisions for admission to students of the State of [Uttarakhand] :

Provided further that nothing in this section shall be deemed to requires the University or Constituent Colleges or Regional Centers or Study Centers or Yog Training Centers to admit in any course of study a larger number of students than may be determined by the Statutes.

National 10. The University will seek accreditation from the national University Accreditation accreditation body.

CHAPTER-III

Officers of the

University

Officers of the 11. The following shall be the officers of the
University:- University (a) the Visitor

(b) the Chancellor;

(c) the Vice-
Chancellor;

(d) the Pro Vice-
Chancellor;

1. Substituted by section 2 of Uttarakhand Act No. 04 of 2010.

(e) the Deans of Faculties;

(f) the Registrar;

(g) the Finance Officer, and

(h) such other officers as may be declared by the Statutes to be officers
of the University.

Visitor 12. (1)The Governor of Uttarakhand will be the Visitor of the University.

(2)The Visitor shall, when present, preside at the Convocation of the
University for conferring degrees and Diplomas.

(3)The Visitor shall have the following powers namely :-

(a) to call for any paper or information relating to the affairs of the University;

(b) on the basis of the information received by the Visitor, if he is
satisfied that any order, proceeding of decision taken by any
authority of the University is not in conformity with the Act, Statutes
or Rules, he may issue such directions as he may deem fit in the
interest of the University and the directions so issued shall be
complied with by all concerned,

(4)Every proposal for the conferment of an honorary degree or distinction
shall be subject to the approval of the Visitor.

The Chancellor 13.
(Trust)

(1) Yog Rishi Swami Ramdev ji, who is President of Patanjali Yog Peeth
and Divya Yog Mandir (Trust), Kankhal, Hardwar will be. the first
Chancellor of Patanjali University and will hold office for life long and
therafter Patanjali Yog Peeth (Trust) will appoint Chancellor from among the
Trustees with the prior approval of the Visitor.

(2) The Chancellor shall have other such powers as may be conferred on him
by this Act or the Statutes made there under.

Vice-Chancellor 14.
may
from

(1) The Vice Chancellor shall be appointed on such terms and conditions as
be prescribed by the Statutes for a term of three years by the Chancellor
a panel of three persons recommended by the Committee constituted in
accordance with the provisions of sub-section (2).

(2) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following
persons, viz, :-

- (a) One person nominated by the Visitor & Chancellor each.
 - (b) The Principal Secretary/ Secretary to the State Government in the Higher Education Department;
 - (c) Three nominees of the Board of Governors, one of whom shall be nominated as the Governor of the committee by the Board of Governors.
- (3) The committee shall, on the basis of merit, prepare a panel of names of three persons suitable to hold the office of the Vice-Chancellor and forward the same to the Chancellor along with a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each person.
- (4) The Vice-Chancellor shall be the Principal Executive and academic Officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of the authorities of the University.
- (5) Where any matter other than the appointment of a teacher is of urgent nature requiring immediate action and the same could not be immediately dealt with by any officer or the authority or other body of the University empowered by or under this Act to deal with it, the Vice-Chancellor may take such action as he may deem fit with the prior approval of the Chancellor.
- (6) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be laid down by the Statutes of the Rules.
- (7) The Chancellor is empowered to remove the Vice-Chancellor after due enquiry. It will be open to the Chancellor to suspend the Vice-Chancellor during enquiry depending upon the seriousness of the charges, as he may deem fit.

The Pro-Vice Chancellor 15. A Pro Vice-Chancellor may be appointed by the Vice-Chancellor with prior approval of the Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by Statutes.

Deans of faculties 16. Deans of faculties shall be appointed by the Vice-Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by Statutes.

The Registrar 17. (1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed.
 (2) All contracts shall be entered into and signed by the Registrar on behalf of the University.
 (3) The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed or may be required from time to time, by the Chancellor or the Vice-Chancellor.
 (4) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University and shall be bound to place before the Chancellor, the Vice-Chancellor or any other authority, all such information and documents as may be necessary for transaction of their business.

The Finance Officer 18. The Finance Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.

Other Officers 19. The manner of appointment, terms and conditions of service and powers and duties of the other officers of the University shall be such as may be prescribed.

CHAPTER-IV **Authorities of the** **University**

Authorities of 20. The following shall be the authorities of the University,
namely:- the University

- (a) The Board of Governors;
- (b) The Board of Management;
- (c) The Academic Council;
- (d) The Finance Committee; and
- (e) Such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

The Board of 21. (1) The Board of Governors shall consists of: -
Governors and
its powers

- (a) The Chancellor -Chairman;
- (b) The Vice-Chancellor - Member-Secretary;
- (c) Principal Secretary/ Secretary to the State Government in the Higher Education Department or a Secretary to the State Government nominated by the State Government;
- (d) Principal Secretary/ Secretary to the State Government in the Medical Education Department or a Secretary to the State Government nominated by the State Government;
- (e) Five persons nominated by the Patanjali Yog Peeth (Trust).
- (f) Three academicians nominated by the Visitor.
- (g) A Nominee of University Grants Commission.
- (h) Three Nominees of Officers or Scientist working in the field of Yog and Ayurved nominated by the Chancellor.

(2) The Board of Governors shall be the principal governing body of the University and shall have the following powers, namely:-

- (a) to lay down policies to be pursued by the University;
- (b) to review decisions of the other authorities of the University if they are not in conformity with the provisions of this Act, or the Statutes or the Rules;
- (c) to approve the budget and annual report of the University;
- (d) to make new or additional Statutes or amend or repeal the earlier Statutes and Rules;
- (e) to take decision about voluntary winding up of the University;
- (f) to approve proposals for submission to the State Government; and
- (g) to take such decisions and steps as are found desirable for effectively carrying out the objects of the University.
- (h) to nominate an observer or observers who will, time to time, under the advice : and directions of the Chancellor decide the policy and fame work within which the Board of Management, Academic Council, Finance Committee and such other authorities as may be

declared in the statutes, will function and pass resolutions for the proper administration of the University.

(3) The Board of Governors shall meet at least three times in a year at such time and place as the Chancellor thinks fit.

The Board of 22.

consist of:- Management

(1) The Board of Management shall

(a) The Vice-Chancellor;

(b) A Nominee of Patanjali Yog Peeth (Trust) nominated by the Chancellor.

(c) Five persons, nominated by the Patanjali Yog Peeth (Trust).

(d) Two Professors of the University, by rotation on the basis of seniority for a period of one year;

(e) Two Deans of the faculties as nominated by the Chancellor;

(f) Principal Secretary/ Secretary to the State Government in the Higher Education Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary to the State Government;

(g) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management and the Registrar shall be the Secretary of the Board of Management.

(2) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be prescribed.

The Academic 23.

of:- Council

(1) The Academic Council shall consist

(a) the Vice-Chancellor . - Chairman;

(b) the Registrar - Secretary;

(c) such other members as may be prescribed in the Statutes.

(2) The Academic Council shall be the Principal Academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Rules, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

The Finance 24. (1) The Finance Committee shall consist of:-
Committee

(a) the Vice-Chancellor - Chairman;

(b) the Finance Officer;

(c) Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Higher Education Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary to the State Government;

(d) Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Medical Education Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary to the State Government;

(e) such other members as may be prescribed in the Statutes.

(2) The Finance Committee shall be the principal financial body of the University to take care of financial matters and shall, subject to the provisions of this Act, Statutes and Rules, co-ordinate and exercise general supervision over the financial matters of the University.

Other 25. The constitution, powers and functions of the authorities of the University Authorities shall be such as may be prescribed. .

Proceedings 26. No act or proceeding of any authority of the University shall be invalid not invalidated merely by reason of the existence of any vacancy or defect in the constitution on account of of the authority.
vacancy

CHAPTER- V Statutes and Rules

Statutes 27. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and staff, as given below:-

- (a) the procedure for transaction of business of the Authorities of the University and the composition of bodies not specified in this Act;
- (b) the operation of the permanent endowment fund, the general fund and the development fund;
- (c) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor, the Registrar and the Finance Officer and their powers and functions;
- (d) the mode of recruitment and the conditions of service of the other officers, teachers and employees of the University;
- (e) the procedure for resolving disputes between the University and its Officers, faculty members, employees and students;
- (f) creation, abolition or restructuring of department and faculties;
- (g) the manner of co-operation with other Universities or Institutions of higher learning.
- (h) the procedure for conferment of honorary degrees;
- (i) provisions regarding grant of freeships and scholarships;
- (j) number of seats in different courses of studies and the procedure of admission of students to such courses including reservation of seats for [Uttarakhand] Students;
- (k) the fee chargeable from students for various courses of studies;
- (l) institution of fellowships, scholarships, studentships, freeships, medals and prizes;
- (m) procedure for creation and abolition of posts;
- (n) other matter which may be prescribed.

Statutes how 28. (1) The first Statutes framed by the Board of Governors shall be submitted to the State Government for its approval, which may, within three months from the date of receipt of the Statutes give its approval with or without modification.

- (2) Where the State Government fails to take any decision with respect to the approval of the Statutes within the period specified under Sub-section (1) it shall be deemed to have approved by the State Government.

Power to 29. The Board of Governors may, with the prior approval of the State amend the Government, make new or additional Statutes or amend or repeal the existing Statutes.
Statutes

Rules 30. Subject to the provisions of this Act, the Rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) admission of students to the University and their enrolment and continuance as such;
- (b) the course of study to be laid down for all degrees and other academic distinctions of the University;

- (c) the award of degrees and other academic distinctions;
- (d) the conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes; .
- (e) the conduct of examinations and the conditions and mode of appointment and duties of examining bodies, examiners, invigilators, tabulators and moderators;
- (f) the fee to be charged for admission to the examinations, degrees and other academic distinctions of the University; .
- (g) the conditions of residence of the students at the University or a constituent college;
- (h) maintenance of discipline' among the students of the University or a constituent college;
- (i) all other matters as may be provided in the Statutes and Rules under the Act.

- Rules how 31. made (1) The rules shall be made by the Board of Governors and the rules so made shall be submitted to the State Government for its approval, which may, within two months from the date of receipt of the rules, give its approval with or without modification.
- (2) Where the State Government fails to take any decision with respect to the approval of the rules within the period specified under sub-section (1), it shall be deemed to have been approved by the State Government.
- Power Rules to 32. The Board of Governors may, with the approval of the State Government amend make new or additional rules or amend or repeal the rules. .

CHAPTE R-VI Miscellane ous

- Conditions 33. service of employees (1) Every employee shall be appointed under a written contract, which shall of be kept in the University and a copy of which shall be furnished to the employee concerned.
- (2) Disciplinary action against the students/employees shall be governed by procedure prescribed in the Statutes.
- (3) Any dispute arising out of the contract between the University and an employee shall, at the request of the employee, be referred to a tribunal of arbitration consisting of one member appointed by the Board of Management, one member nominated by the employee concerned and an umpire appointed by the Chancellor.
- (4) The decision of the tribunal in such matter shall be final.
- (5) The procedure for regulating the work of the tribunal shall be such as may be prescribed.

Right to appeal 34. Every employee or student of the University or of a Constituent College, Regional Center, Study Center and Yog Training Centers notwithstanding anything contained in the proposed Act, have a right to appeal within such time as may be prescribed, to the Board of Management against the decision of any officer or authority of the University or of the Principal of any such Constituent College, Regional Center, Study Center and Yog Training Center as the case may be and thereupon the Board of Management may confirm, modify or change the decision appealed against.

Provident fund 35. The University shall constitute for the benefit of its employees such provident & pension or pension fund and provide such insurance scheme as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may prescribed.

Disputes as to 36. If any question arises as to whether any person has been duly elected or constitution Of appointed as, or is entitled to be a member of any authority or other body of University the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision authorities and thereon shall be final.

bodies

Constitution 37. Whenever ant authority of the University is given power by this Act or the of Committees statutes to appoint committees, such committees, shall, save as otherwise provided, consist of any or all the members of the authority concerned and of such other persons, if any, as the authority in each case thinks fit.

Filling of 38. Any casual vacancy among the members, other than ex-officio members, of casual any Authority or body of the University shall be filled in the same manner in vacancies which the member whose vacancy is to be filled up, was chosen, and the person filling the vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he/she fills would have been a member.

Protection of 39. No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or other action taken in employee of the University for anything, which is done in good faith or good faith intended to be done in pursuance of the provisions of this Act, the Statutes or the Rules.

Transitional 40. Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act and provisions the Statutes:-

- (a) the first Vice-Chancellor and Pro Vice-Chancellor, if any shall be appointed by the Chancellor and the said officer shall hold office for a term of three years;
- (b) the first Registrar and the first Finance Officer shall be appointed by the Chancellor who shall hold office for a term of three years;
- (c) the first Board of Governors shall hold office for a term not exceeding three years;
- (d) the first Board of Management, the first Finance Committee and the first Academic Council shall be constituted by the Chancellor for a term of three years.

Permanent 41. (1) The University shall establish a permanent endowment fund of at least rupees Endowment three crores which may be increased suo motu but shall not be decreased.

Fund

in

- (2) The University shall have power to invest the permanent endowment fund such manner as may be prescribed.
- (3) The University may transfer any amount from the general fund or the development fund to the permanent endowment fund. Excepting the dissolution of the University, in no other circumstances can any monies be transferred from corpus of the endowment fund for other purposes.
- (4) Not exceeding 75% of the incomes received from the corpus permanent endowment fund shall be used for the purposes of development works of the University. The remaining 25% shall be reinvested into the permanent endowment fund.

General Fund 42. (1) The University shall establish a general fund to which the following amount shall be credited, namely:-

- (a) all fees which may be charged by the University;
- (b) all sums received form any other source;
- (c) all contributions made by the Patanjalii Yog Peeth (Trust).

(d) all contributions/donations made in this behalf by any other person or body, which are not prohibited by any law for the time being in force,

(2) The funds credited to the general fund shall be applied to meet all the recurring expenditure of the University.

Development Fund 43. (1) The University shall also establish a development fund to which the following funds shall be credited, namely:-

- (a) development fees which may be charged from students;
- (b) all sums received from any other source for the purposes of the development of the University;
- (c) all contributions made by the Patanjali Yog Peeth (Trust).
- (d) all contributions/ donations made in this behalf by any other person or body Which are not prohibited by any law for the time being in force; and
- (e) all incomes received from the permanent endowment fund.

(2) The funds credited to the development fund from time to time shall be utilized for the development of the University.

Maintenance 44. The funds established under sections 41, 42 and 43 shall, subject to general of fund supervision and control of the Board of Governors, be regulated and maintained in such manner as may be prescribed.

Annual Report of the 45. (1) The annual report of the University shall be prepared under the direction Board of Management and shall be submitted to the Board of Governors for its approval ;

(2) The Board of Governors shall consider the annual report in its meeting and may approve the same with or without modification.

(3) A copy of the annual report duly approved by the Board of Governors shall be sent to Visitor and the State Government before 31 December following close of the financial year in 31 March each year.

Accounts and audit 46. (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and all funds accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed or-paid shall be entered in the accounts maintained by the-University.

(2) The annual accounts of the University shall be audited by an auditor, who is a member of the Institute of Chartered Accountants of India, every year.

(3) A copy of the annual accounts and the balance sheet together with the audit report shall be submitted, to the Board of Governors well before 31 December following close of the financial year in 31 March-each year.

(4) The annual accounts, the balance sheet and the audit report shall be considered by the Board of Governors at its meeting and the Board of Governors shall forward the same to the Visitor and the State Government along with its observations thereon before the 31st December each year.

(5) The direction of the State Government on the subject arising out of the accounts and audit report of the University shall be binding on the University.

Mode of proof 47. A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of of University any authority or committee of the University or other documents in possession record of the of University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as prima facie evidence

of such receipt, application, notice, order, proceeding, resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matter and transaction therein recorded where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

- Dissolution of 48. (1) If Patanjali Yog Peeth (Trust) proposes dissolution of the Patanjali University in accordance with the law governing its constitution or incorporation, it shall give at least three months notice in writing to the State Government.
- (2) On identification of mismanagement, mal-administration, in-discipline, failure in the accomplishment of the objects of University and economic hardships in the management systems of University, the State Government would issue directions to the management system of University. If the directions are not followed within such time as may be prescribed, the right to take decision for winding up of the University would vest in the State Government.
- (3) The manner of winding up of the University would be such as may be prescribed by the State Government in this behalf. Provided that no such action will be initiated without affording a reasonable opportunity to show cause to the Patanjali Yog Peeth (Trust).
- (4) On receipt of the notice referred to in sub-section (1), the State Government shall, in consultation with the Council for Technical Education and University Grant Commission make such arrangements for administration of the University from date of dissolution of the University by Patanjali Yog Peeth (Trust) and until the last batch of students in regular courses of studies in such manner as may be prescribed by the statutes.

- Expenditure of 49. (1) The expenditure for administration of the University during the taking over the University permanent during dissolution period of its management under section 48 shall be met out of the endowment fund, the general fund or the development fund.
- (2) If the funds referred to in sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure of the University during the taking over period of its management, such expenditure may be met by disposing of the properties or assets of the University, by the State Government.

Enforcement of 50. The law prepared by state Government relating admission & fee in the Law relating Universities and Institutes established in private sector, shall operate in this Admission and University too.

Fee

- Removal of 51. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State difficulties Government may, by a notification or order, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty:

Provided that no notifications order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of three years from the commencement of this Act.

- (2) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State legislature.